उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-3/2022/वे0आ0-2-103/दस-35(एम)/2008

लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु गठित वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के लिये सृजित 01 नि:संवर्गीय पद का कार्यकाल कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/वे0आ0-2-74/दस-35(एम)/2008, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक के लिये बढाया गया।

2- तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वेतन समिति की प्राप्त संस्तुतियों के परीक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के लिये वेतन समिति क्रियान्वयन सेल के रूप में वेतन समिति हेतु सृजित 01 नि:संवर्गीय पद का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्र0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	**अपर सांख्यिकीय अधिकारी**	**लेवल-7 (वेतनमान रू0 44900-142400)**	01

3- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

4- उपर्युक्त सृजित पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और सिमतियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या-3/2022/वे0आ0-2-103(1)/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महोलेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण वितरण अधिकारी, वेतन समिति (दो प्रतियों में)
4- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5

आज्ञा से,
पुष्पराज,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in